स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति भीलबरखेडा विकासखण्ड नालछा की सफलता की कहानी ''सारांक्ष''

1. परिचय :–

ग्राम पंचायत का नाम	–	भीलबरखेडा
ग्राम का नाम	–	भीलबरखेडा
तालाब का नाम	–	भीलबरखेडा तालाब
जलक्षेत्र	–	18.35 हेक्टर
पट्टा अवधि	–	सात वर्ष
पट्टा धारक का नाम	–	आदिवासी मत्स्योंद्योग सहकारी समिति मर्या. भीलबरखेडा
लाभांवित सदस्य	–	28 परिवार

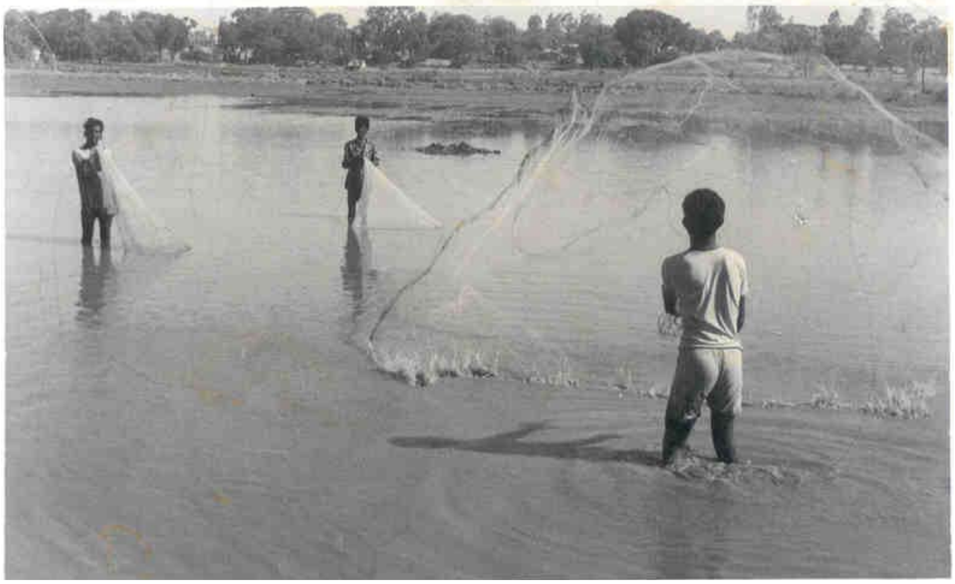

2. पृष्ठभूमि :–

विकासखण्ड नालछा मुख्यालय से 5 किमी. पश्चिम की ओर ग्राम भीलबरखेडा स्थित है। पुर्व में आवागमन की सुविधा का अभाव था, वर्तमान में पक्की

सड़क है। ग्राम में अधिकांश अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते है। जिनकी जीविका का मुख्य साधन मजदूरी तथा कृषि है।

3. क्रियान्वयन :—

ग्राम में मात्र एक सिंचाई तालाब है, जिसमें अन्य ग्राम की समिति कार्यरत थी। ग्राम में मत्स्य पालन विभाग के प्रयास से स्थानीय गरीब भुमिहीन परिवार के सदस्यों की एक मत्स्य सहाकारी समिति का पंजीयन करवाने की समझाईश दी गयी। तत्पश्चात् इनकी समिति का पंजीयन करवाकर भी भीलबरखेडा तालाब जनपद पंचायत नालछा से मत्स्य पालन पर पट्टे पर दिलवाया गया है।

4. प्रगतिशील जानकारी :—

वर्ष 2005—06 में जिला पंचायत धार द्वारा एस.जी.आर.व्हाय. योजना 22.5 प्रतिशत जिला स्तरीय राशि से 28 गरीबी रेखा से नीचे सदस्यो को प्रति सदस्य रूपये 5000 / — के मान से निम्न सामग्री प्रदान करवायी गयी है—

अ. मत्स्य बीज एवं परिवहन		रू. 775 / —
ब. घुमाव जाल		रू. 750 / —
स. फासले जाल		रू. 475 / —
द. नाव		रू. 2000 / —
ध. खाद्यान्न	2 क्वि.	रू. 1000 / —
कुल योग —		**रू. 5000 / —**

मत्स्य पालकों के पास स्वंय के मत्स्याखेट औजार पूर्व में नही थे, जिससे स्वयं मत्स्याखेट का कार्य नही कर पाते थे, जिससे मत्स्याखेट की रायल्टी रूपये सदस्यों को लाभ नहीं मिल पाता था, परंतु जिला पंचायत द्वारा मतस्य पालन विभाग की कार्ययोजना अनुसार बी.पी.एल. पट्टाधारकों को मत्स्याखेट औजार प्रदाय करने के उपरांत स्वयं मत्स्याखेट का कार्य कर रहे है, जिससे मत्स्य विक्रय के अतिरिक्त मत्स्याखेट रायल्टी की भी राशि अतिरिक्त रूप से मिल रही है। अतः मत्स्य पालकों को

इसका लाभ दिये जाने से मत्स्य पालन में बिचौलियों का रास्ता बंद हो जायेगा। ऐसा सदस्यों में मत्स्य पालन के प्रति रूझाान एवं जाग्रती दिन–प्रति–दिन बढ़ रही है।

ग्राम मगदी के स्व सहायता समूह की सफलता की कहानी

विकासखण्ड बाग के ग्राम पंचातय मगदी में बी.पी.एल. परिवार के 12 महिला सदस्यों द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किया गया। समूह गठन के समय समूह सदस्यों द्वारा प्रतिमाह प्रतिसदस्य 50 रूपये बचत करने का संकल्प लिया एवं युनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा टाण्डा में बचत खाता खुलवाया। समूह के बचत खातें में वर्तमान में रूपये 15400/– जमा है।

समूह गठन के 6 माह पश्चात् प्रथम ग्रेडिंग की गयी, जिसमें समूह उत्तीर्ण हुआ एवं रिवॉलिंग फंड की राशि प्राप्त हुई। रिवॉलिंग फंड एवं बचत राशि का मिलाकर समूह सदस्यों द्वारा परांपरागत व्यवसाय हेतु जैसे कि उन्नत बीज एवं कृषि उर्वरक कय करने हेतु आवश्यकता के अनुसार बचत खाते से उधार ली एवं ली गयी राशि पर 2 प्रतिशत ब्याज अर्जित कर समूह के बचत खाते में जमा कराया। समूह द्वारा 25000 रूपये का आपस में लेन–देन किया गया। समूह के महिला सदस्य श्रीमति प्यारीबाई पति रतन द्वारा अपने पुत्र के विवाह के लिये राशि रूपये 8000/– उधार ली एवं

विवाह कार्य सम्पन्न किया, तत्पश्चात् मय ब्याज के राशि वापस किश्तों में समूह बचत खाते में जमा कराई गयी।

समूह की स्थिति का देखते हुए द्वितीय ग्रेडिंग की गयी एवं उत्तीर्ण होने पर बैंक द्वारा समूह सदस्यों के रूचि अनुसार भैंस पालन, बकरी पालन एवं नवीन कूप खनन व विद्युत पंप के लिये रूपये 3.96 लाख का ऋण स्वीकृत किया, समूह सदस्यों को स्व–रोजगार में स्थापित करवाया गया।

समूह सदस्यों द्वारा रूचि अनुसार गतिविधी का चयन कर अपनी–अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार किया गया। जहॉ प्यारीबाई के घर में दो भैंस एवं नई बहू के आगमन से उसके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में कॉफी बदलाव आया। घर में धुंआरहित चूल्हा एवं बॉयो गैस का प्रबंध भी हो गया।

समूह सदस्यों द्वारा रूचि अनुसार व्यवसाय करने के फलस्वरूप बैंक ऋण की किश्तें लौटाना प्रारंभ कर रूपये 5400/– देय राशि के विरूद्ध रूपये 6600/– दुग्ध विक्रय कर जमा किये गये है। समूह की सफलता से प्रेरणा लेकर ग्राम के अन्य गरीब महिलाओं द्वारा समूह गठन का निर्णय लेकर आठ स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। समूह के सभी सदस्य अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर आए बदलाव से कॉफी प्रसन्न है।

स्वयं सहायता समूह की सफल कहानी
(ग्राम मिर्जापूर जनपद पंचायत धार)

धार जिला मुख्यालय से सधार –इन्दौर मार्ग पर 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गुणावद स्थित होकर गुणावद से 2 मिलोमीटर दक्षिण दिशा मे ग्राम मिर्जापुर स्थित है । 700 सो की आबादी वाला ग्राम मे 45 परिवार बी.पी.एल. के होकर अधिकाश अनुसूचित जाति, एव अनुसूचित जनजाति के है । वर्ष 2000 मे 11 बीपीएल महिलाओ ने सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री निर्मलकुमार गोदरे की समझाईस पर एक स्वयं सहायता महिला समूह का गठन किया ओर 50 रूपये प्रतिमाह प्रति महिला बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुणावद शाखा मे जमा करना निश्चित किया गया । खाता कमाक 1826 मे वर्तमान मे 32700 की बचत राशि जमा की जा चुकी है। प्रथम ग्रेडींग उत्तीर्ण पश्चात दिनांक 6.8. 2001 को जिला ग्रामीण विकास अधिकरण धार से रूपये 10,000 का चकरीय कोष प्राप्त हुआ एवं 15,000 रूपये की नगद शाख सुविधा बैंक द्वारा महिला समूह को प्रदान की गई । द्वितीय ग्रेडींग पश्चात बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा गुणावद द्वारा सभी 11 महिला सदस्यो को भैंस पालन हेतु 4ण30 लाख काक ऋण वितरण किया गया जिसमे शासन द्वारा 1.25 लाख कानुदान समाहित है।

सभी 11 महिलाओ द्वारा रिवाल्विंग फण्ड एवं नगद साख का आपसी लेन–देन कर बैंक ऋणा चुकता कर पश्चात मे भैंस पालन का (दुग्ध व्यवसाय) सफलता पुर्वक संचालित कर लगभग 70प्रतिशत ऋण का पुर्नभूगतान बैंक मे कर दिया गया है।एवं शेष ऋण भी लगभग 1 वर्ष मे पुर्ण रूप से नियमित जमा किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सभी 11 महिलाऐ गरीब अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की होकर अध्यक्ष श्रीमती जशोदाबाई ने समूह की बैठक मे प्रस्ताव पारीत किया कि हम अपने पतियो को शराब नही पिने देगे। एव सभी बच्चो को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेगे। इस निर्णय को लागु करने मे महिलाओ को अपने पतियो की डाटएवं मार तक सहना पडी लेकिन अंततः सभी पुंरूशो ने हार मानकर शराब से हमेशा के लिए तोबा कर ली । पहले सभी महिलाऐ मजदूरी करती थी वर्ष के अधिकाश दिनो मे बेकार बैठकर अपना किमती समय बर्बाद करती थी । वर्तमान मे सभी महिलाए अपनी भैंसो का पालन–पोषण देख–रेख कर उनके घास चारे की व्यवस्था करती है। एवं अच्छा दुग्ध उत्पादन कर अपना जीवन स्तर उठा रही है। सभी महिलाओ ने ग्राम स्वच्छता अभियान चला कर अनुकरणीय प्रहल की है। आज 11 महिलाओ मे से 3 महिला पंच चुन ली गई है। एवं सभी हस्ताक्षर करना सीखकर अपने समूह का हिसाब खुद रखती है।

अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उक्त 11 महिलाओ ने अपने परिवारो का जीवन स्तर सुधार कर शासन की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लाभ लिया है । इनको देखकर ग्राम मिर्जापुर एव आस–पास के गाव की महिलाऐ भी स्वयं सहायता समूह बनाने लगी है।

धारा वर्मी कम्पोस्ट
विकास के पथ पर अग्रसर ग्रामीण स्वरोजगारी महिलाओं की सफलता की कहानी

आज सबसे बड़ी समस्या ग्राम और ग्रामवासियों की आर्थिक दशा सुधारने की है।ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता, भुखमरी, असमानता व बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारीरथ प्रयासों की आवश्यकता है। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने, स्थायी विकास को सुनिश्चित करने और ग्रामीणों के जीवन को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए रचनात्मक पहल जिला पंचायत धार के मार्गदर्शन में एक छोटे से गांव तिलगारा की महिलाओं ने की । इस छोटी सी पहल ने जब विकास के नव आयाम तय किये जो परिणाम आये, उन परिणामें ने न केवल गरीब आदिवासी महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक जिंदगी जीने का पथ प्रशस्त भी कर दिया।

जिला पचांयत के मार्गदर्शन से, जनपद पंचायत बदनावर ने तिलगारा ग्राम की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अजजा वर्ग की महिलाओं का स्व कियाकलाप व स्वराजगार विषयक समझाईश दी। गठित समूह का नाम ''इंदिरा स्वयं सहायता समूह तिलगारा'' रखा गया।

इसी नाम से आर.आर.बी. शाखा तिलगारा में बचत खाता खुलवाया गया। समूह की प्रत्येक सदस्य महिला रु. 50/— की मासिक बचत कर राशि खाते में जमा करवाने लगी। स्वरोजगार मिलने की बात को लेकर महिलाएं बचत व समूह क्रियाकलापों में विशेष रूचि लेने लगी। साथ ही साथ समूह की पाक्षिक/मासिक बैठकों का भी आयोजन होने लगा। समूह के समक्ष आने वाली कठिनाईयों का निवारण व मार्गदर्शन सदस्य जनपद पंचायत से लेने लगे। स्वयं सहायता समूह का बचत का क्रम अनवरत चलता रहा और समूह के खाते में स्वयं की बचत राशि रु. 26370/— जमा हो गई, जिस पर रु. 335/— बैंक ब्याज मिल गया। रु. 10000/— रिवाल्विंग फण्ड और रु. 50000/— प्राप्त कैश क्रेडिट सहित समूह के पास कुल रु. 89705/— जमा हो गये।

समूह के सफल संचालन व महिलाओं की उत्कृष्ट इच्छा को देखते हुए इंदिरा स्वयं सहायता समूह का जनपद पंचायत बदनावर ने ''**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना**'' के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि के रूप में धारा वर्मी कंपोस्ट का चयन कर एवं प्रकरण बनाकर जैविक खाद उत्पादन के लिए आर.आर.बी. शाखा से दो चरणों में ऋण दिलवाया गया। प्रथम चरण में समूह की अध्यक्ष श्रीमती राजुबाई सहित पांच महिला सदस्यों को दिनांक 25.8.02 को 25 पिट्स (केंचुआ पालन व खाद निर्माण की संरचनाएं) निर्माण हेतु रु. 1.80 लाख स्वीकृत किय गये तथा द्वितीय चरण में, समूह की सचिव व चार महिला सदस्य को 21.9.02 को 20 पिट्स निर्माण हेतु रु. 1.44 लाख स्वीकृत किये गये। ऋण प्राप्ति के बाद समूह की सभी नौ सदस्यों ने सामूहिक रूप से कार्य प्रांरभ किया। इन पिट्स से 20 माह के अल्स समय में 938.20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट (जैविक खाद) का उत्पादन हुआ, जिससे समूह को रु. 250 प्रति क्विटल के दर से रु. 241467/— प्राप्त हुए। साथ ही, 1363 कि. ग्रा. केचुओं का उत्पादन भी हुआ,जिसे रु. 490 प्रतिकिलो की दर से विक्रय करने पर समूह को रु. 67112/— की आय हुई। उक्त आय से बैक ऋण राशि का समूह ने शत प्रतिशत भुगतान कर दिया और प्रत्येक स्वरोजगारी महिला सदस्य को रु. 5069/— प्रतिमाह की दर से औसत आमदनी हुई। यहॉ यह बताना अत्यन्त आवश्यक है कि अधिकतर हितग्राही मूलक योजनाओं में उत्पादन पर ही अधिक ध्यान केन्द्रीत किया गया, जबकी स्वरोजगारी की मुख्य समस्या गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन के साथ—साथ विपणन की भी होती है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत धार द्वारा धारा वर्मी कंपोस्ट इकाई हे वित्त पोषित स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित जैविक खाद को ''**धारा डेव्हलपमेंट एजेंसी**'' का पंजीयन कराकर दस उप केन्द्र स्थापित कर विपणन के ठोस प्रयास किये गये।

जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक ओर गरीबी रेखा के नीच रहने वाले परिवारों को धारा वर्मी कंपोस्ट गतिविधि में वित्त पोषण कराकर स्वरोजगारियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में बदलाव आया, वहीं दूसरी ओर इन स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित जैविक खाद को क्षैत्र के किसानो के अपनाने से भूमि सुधार, अधिक उत्पादन, फसल का शुद्व जैविक उत्पादन कर लाभ लने सफल हो रहे है। इस स्वरोगार की सफलता का आकलंन इसी बात से लगाया जा सकता है कि धारा वर्मी कंपोस्ट की व्यवसाय अपनाने के बाद इसी समूह की अध्यक्ष श्रीमती राजुबाई ने अपने लड़के की शादी की, मोटर सायकल क्रय की, अपने पति के व्यवसाय के लिए कॉम्प्रेंशर इंजिन क्रय किया। सदस्य श्रीमती मानीबाई ने लड़की शादी की तथा पुरना कर्ज चुकाया, श्रीमती श्यामुबाई ने चांदी के आभूषण व पुराना कर्ज चुकाया, श्रीमती सागरीबाई ने लड़के की शादी की व चांदी के आभूषण

बनवाये, श्रीमती फुलीबाई ने चांदी खरीदी व पुराना कर्ज चुकाया, श्रीमती गीताबाई ने नवीन ट्युबवेल खनन, विद्युत पंप पाईप व आवास निर्माण किया, श्रीमती पन्नाबाई ने आवास निर्माण किया व पुराना कर्ज चुकाया, श्रीमती मांगुबाई ने अपनी कृषि मे ंनवीन कूप का निर्माण कर विद्युत मोटर एवं पाईप क्रय किये, श्रीमती मानीबाई ने लड़के की शादी की व आवास निर्माण किया तथा पुराना कर्ज को अदा किया। साथ ही समूह के सभी सदस्यों ने अपना बैंक ऋण रु. 247500/– बैंक को अदा कर ऋण से मूक्ति पाई।

अस्तु इंदिरा स्वयं सहायता समूह की गरीबी रखो के नीच जीवन यापन करने वाली महिलाओं ने सामूहिक रूप से संगठित हो कर कार्य कर न केवल आर्थिक उन्नति कर अपने को सक्षम बनाया वरन् एक मिशाल पेश कर दिखा दिया कि यदि कर्म के प्रति सच्ची लगन, निष्ठा संगठन भावना हो और उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन मिले, तो कोई कार्य असंभव नहीं है।

बांकी स्व–सहायता समूह

जनपद पंचायत कुक्षी का आदिवासी बाहुल्य ग्राम बांकी जहां पर 95 प्रतिशत परिवारों का गुजर बसर मजदूरी पर निर्भर है। उक्त ग्राम में सहायक विकास विस्तारी अधकारी श्री ठाकुर द्वारा स्वं सहायता समूह का गठन कर बचत के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के सबंध में महिलाओं को जानकारी दी गई । दो तीन बार उनकी दिनचर्या/समस्याओं आदि पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से समूह का गठन किया गया जिसमें समूह की अध्यक्ष श्रीमती मंगतीबाई पति श्री मेहताब एवं सचिव श्रीमती बंदीबाई पति श्री जुवानसिंह को सचिव बनाया गया। इसके पश्चात महिलाएं प्रतिमाह 30 रु. बचत का निर्णय लेकर आर.आर.बी. शाखा डेहरी में अपना बचत खाता खोला।

धीरे–धीरे समूह की बचत आकार लेने लगी एवं नियमित बचत कर अपने लिए चयनित व्यवसाय में टोकनी निर्माण व्यवसाय का चयन किया । समूह की प्रथम ग्रेडिंग जुलाई 2000 में की गई जिसमें समूह सफल रहा। उसे जिला पंचायत धार से रु. 10000/– का रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हुआ। इस राशि का उपयोग समूह द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किये जाने लगा। समूह को अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्व में महाजन से उधार लेना पड़ता था आज वह समूह से ही आपसी लेन देन द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे है। ऋण राशि पर समूह द्वारा 2 प्रतिशत प्रति माह ब्याज लिया जाता है।

समूह द्वारा द्वितीय ग्रेडिंग मार्च 2001 में उत्तिर्ण की उसके पश्चात समूह का बांस टोकनी निर्माण का प्रकरण बैंक शाखा मे प्रस्तुत किया गया । समूह को रु. 200000/– का ऋण स्वीकृत किया गया। समूह को प्रशिक्षण के पश्चात माह दिसबंर 2001 में वित्त पोषित किया गया। समूह द्वारा टोकनी, सुपडे आदि की निर्माण के साथ ही कलात्मक ढंग से शादी विवाह में उपयोग किये जाने वाले रंगीन व सुदंर टोकनों का निर्माण भी किया जाता है। जो आस पास के क्षैत्र में काफी लोक प्रिय है व उनका काफी संख्या में उपयाग किया जाता है। बिक्री से समूह के प्रत्येक सदस्य को अनुमानित 1500–1600 रु. की आय प्रति माह हो रही है।

समूह आज अपनी आर्थिक गतिविधि का सफलता पूर्वक संचालन कर बैंक शाखा की किशत का नियमित भुगतान कर रहे है जो परिवार पहले मजदूरी पर निर्भर था वह आज आत्मनिर्भर हो चुका है एवं अन्य को भी प्रेरित कर रहे है।